न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर पीठासीन अधिकारी श्री मनमोहन व्यास R.A.S.

नामान्तकरण अपील
संख्या 05/2017

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
महा मण्डलेश्वर संतोषभारती चेला राम भारती कौम गोस्वामी नि० संतोष गौशाला माण्डवला की ढाणी तहसील आहोर जिला- जालोर		1. सरपंच/ग्रा. से. इस पदेन सचिव ग्रा०प० बोकली 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर 3. बसन्तसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी नं. इन्द्रा कॉलोनी एम्पायर जोधपुर तहसील जिला जो (राजस्थान)

नामान्तकरण अपील विरुद्ध मौजा बोकली के नामान्तकरण सं० 26
स्वीकृत दिनांक 13-11-2009 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बाकली

उपस्थिति :- श्री भोगीलाल चौधरी वकील अपीलार्थी
श्री प्रहलादसिंह जोधा वकील रेस्पो.नं.3

निर्णय

दिनांक 30-1-18

अपीलार्थी द्वारा अपील पेश की गयी, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, कि :- मौजा गोविन्दला तहसील आहो में स्थित आराजी वर्तमान ख०नं० 1150 रकबा 1.83 हैक्टर में से रेस्पोडेन्ट नं. 3 ने कुल रकबा 1250 वर्गफीट अर्थात 0.1046 हैक्टर आराजी का बेचान अपीलार्थी के जरिये बख्शीश नामा दिनांक 19-8-08 को उप पंजीयन कार्यालय माण्डवला में पंजीबद्ध किया गया था। बेचान दस्तावेज में त्रुटिवश उक्त एरि को हैक्टर में दर्ज करते वक्त 0.1046 है० के स्थान पर 0.038 है लिख दिया गया था। जिसके कारण म्यूटेशन में भी 0.038 हैक्टर दर्ज हुआ। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन बेचान दस्तावेज में जितना बेचान किया उससे कम रकबा दर्ज होने के कारण म्यूटेशन निरस्त किये जाने योग्य है। बेचान दस्तावेज का अवलोकन किये बिना ही कम रकबे का म्यूटेशन स्वीकृत हो जाने से निरस्त करने योग्य है। पटवारी व आर. आई.

राजस्व रेकर्ड में रकबा इन्द्राज नही होने से जानकारी होते
ही नामान्तरकरण सं 269 की नकल प्राप्त कर अन्दर म्याद
अपील पेश की है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर शुद्धि पत्र
व बेचाननामा दस्तावेज में दर्ज वर्गफीट रकबा को मद्देनजर
रखते हुए म्यूटेशन सं 269 को अपास्त कर पुनः नये सिरे से
अपीलांट के हक में 0.1046 हैक्टर का म्यूटेशन स्वीकृत हेतु
अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश है। अपील परिसीमा काल
के बाद पेश होने से अपील के अन्दर म्याद शुमार करने
के लिये धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय
शपथ-पत्र पेश है।

अतः श्रीमान से निवेदन है, कि इस अपील को स्वीका
फरमाया जाकर मौजा गोविन्दगढ़ के नामान्तरकरण सं 269 दि
13-11-09 को अपास्त फरमाया जावे तथा खस नं 1140 रकबा
1.83 हैक्टर में से 11250 वर्गफीट यानि 0.1046 हैक्टर भू
का बेचाननामा दस्तावेज व शुद्धिपत्र के आधार पर नये सिरे से
कुल रकबा 0.1046 का म्यूटेशन स्वीकृत करने हेतु तहसील
आदेश पर आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा
जाकर जमाव के जवाब हेतु रेस्पोण्डेन्ट को तलब किया
गया। रेस्पोण्डेन्ट सं 1 व 2 जरिये तामील के बावजूद भी
हाजिर रहने पर दिनांक 11-1-18 को एक पक्षीय कार्यवाही की
रेस्पोण्डेन्ट सं 3 की ओर से वकील की उपस्थिति
इकबालिया जवाब दिनांक 11-1-21 को पेश करने पर
निस्तार किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट
अपील मीमो के मिस्ल कथन के दोहराते हुए अपील स्वीका
जाने का कथन किया जिस पर वकील रेस्पोण्डेन्ट ने भी
समर्थन की। जिससे अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मौ
गोविन्दगढ़ के नामान्तरकरण सं 269 स्वीकृत दिनांक 13-11-09
अपास्त किया जाता है। एवं तहसीलदार आमेर को निर्दे
किया जाता है, कि बेचाननामा दिनांक 24-9-2008
शुद्धि पत्र दिनांक 29-3-12 के आधार पर नियमानुसार
नामान्तरकरण निस्तारण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैस
[illegible] हो।